सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
फाल्गुन 02, शुक्रवार, शाके 1946 - फरवरी 21, 2025 Phalguna 02, Friday, Saka 1946- February 21, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 13, 2025

संख्या:25/भू.अ./ज.स./2024/299-303 :-चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर आर.डी. 0 से 32 किमी. निर्माण के अन्तर्गत बांरा जिले की तहसील छीपाबड़ोद एंव अटरू के ग्रामों क अवाप्ति से शेष भूमि के छूटे हुए खसरों की भूमि को अवाप्त किया अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड, तृतीय झालावाड़ को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत, बांरा होगे।

--:विवरणः-

परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आर. डी. 0 से 32 किमी. निर्माण के अन्तर्गत बांरा जिले की तहसील छीपाबडोद एवं अटरू के ग्रामों की अवाप्ति से शेष रही भूमि के छूटे हुए खसरों की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) के प्रस्ताव

क्र. सं.	परियोजना का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	तहसील का नाम	जिला	भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	परवन वृहद सिंचाई परियोजना	गुन्दलाई	अमलावदाआली	छीपाबड़ोद	बांरा	भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत, बारां
2		अमलावदाआली				
3		कल्याणपुरा				
4		उम्मेदपुरा				
1		सरसोदिया	केरवालिया	अटरू		

2		चारपुरा	मोठपुर			
3		मोठपुर	मोठपुर			
4		रामपुरिया नागर	कुण्डी			
5		कुन्डी	कुण्डी			
6		दीलोदहाथी	दीलोदहाथी			
7		टिगरी	पटना			
8		भकरावदा	दीलोदहाथी			
9		लोलाहेड़ी	बरलां			
10		सींधनीजागीर	बरलां			
11		हानीहेड़ा	बरलां			
12		बरलां	बरलां			
13		फत्तूखेड़ी	बरलां			
14		मूंडला	पटना			

फार्म-2

(देखें-नियम-5)

पार्ट-बी

सामाजिक समाधात निर्धारण की अधिसूचना

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

(क)	परियोंजना विकासकर्त्ता का नाम	अधिशाषी अभियंता जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड-तृतीय, झालावाड़।
	प्रस्तावित योंजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र।	परवन वृहद सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर की आर. डी. 0 से 32 किमी. निर्माण के अन्तर्गत बांरा जिले की तहसील छीपाबडोद एवं अटरू के ग्रामों की अवाप्ति से शेष रही भूमि के छूटे हुए खसरों की अवाप्ति बाबत्। कार्य क्षेत्र तहसील छीपाबडौद एवं अटरू जिला बारां है। इस योजना के अन्तर्गत कुल भूमि 196.2201 हेक्टेयर (निजी भूमि 129.6337 हेक्टे. सरकारी 66.5864 हेक्टे.) अधिग्रहण प्रस्तावित है।
(ख)	सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई /	(1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई ।

	सुनवाईयां भी दें।	
(ग)	यदि ग्राम सभा और / भू-स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारें में कथन किया जाना होगा।	अधिनियम की धारा 2 (1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।
(घ)	सामाजिक समाघात निर्धारण के लिए समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योंजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे।	अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार
(ङ)	इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हों जाएगी।	हॉ
(च)	सामाजिक समाघात निर्धारण इकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी।	कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन परवन परियोजना खण्ड-तृतीय, झालावाड़।

मुकेश कुमार गुप्ता,
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।